पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की अगस्त, 2018 माहकी प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सारांश

1) व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की संभावित क्षमता के संदर्भ में पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान जन योजना अभियान - "सबकी योजना सबका विकास" शुरू करने जा रही है। उस अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्येक पंचायत द्वारा व्यापक जीपीडीपी तैयार की जाएगी। जीपीडीपी अभियान न केवल ग्राम सभा में 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों का नेतृत्व करेगा अपितु वे विकास योजना की कल्पना, योजना और विकास योजना के कार्यान्वयन, ग्रामीण भारत को बदलने के लिए भागीदारी लोकतंत्र की मूल भावना में 5.25 करोड़ एसएचजी महिलाओं के नेटवर्क द्वारा भी समर्थित होंगे।

2) जन योजना अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र के साथ-साथ वास्तविक समय सूचना साझा करने की व्यवस्थित सुविधा भी आवश्यक है। तदनुसार, एक पोर्टल (www.gpdp.nic.in) को क्रियान्वित किया गया है जिसके माध्यम से अभियान की प्रगति की निगरानी की जाएगी। अभियान के पहले, उसके दौरान और बाद में विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए, राज्यों को पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टिंग प्रारूपों में जानकारी सुलभ कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पोर्टल नोडल अधिकारी, सुविधा प्रदाताओं, सुविधा प्रदाताओं की रिपोर्ट, अनुसूचित ग्राम सभा, सूचना गैलरी पर जानकारी भी प्रदान करता है। इसके अलावा, लाइन विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नामित दिनों पर ग्राम सभा (जीएस) बैठकों के लिए नियुक्त किए जाने वाले फ्रंटलाइन कर्मियों के नाम तय करने और अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

3) पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडी और पीआर) के सहयोग से **28** अगस्त को एक मॉड्यूल कार्यशाला (**i)** पीआरआई-एसएचजी अभिसरण और (**ii)** जन योजना अभियान के संबंध में सुविधा प्रदाताओं का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला के प्रतिभागियों में पंचायती राज विभाग और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास संस्थान से अधिकारी/संकाय शामिल थे।

4) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के लिए समग्र दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए माननीय मंत्री पंचायती राज की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) गठित की गई है। यह योजना और योजना के कार्यान्वयन में नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगी।

5) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी), आरजीएसए योजना के कार्यान्वयन और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं की मंजूरी के लिए गठित की गयी है। इससे उन्हें पीआरआई को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

6) ईएफएमएस के एक हिस्से के रूप में, पीआरआई में एक अच्छी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रिया सॉफ्ट (पीआरआईए साफ्ट) आवश्यक है। प्रिया सॉफ्ट, एक लेखा एप्लिकेशन है जो पंचायतों को अपनी खाता पुस्तकों को बनाए रखने की अनुमति देता है और इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के सभी इन-फ्लो (प्राप्तियां) और आउट-फ्लो (व्यय) का रिकार्ड रखना है। एप्लिकेशन खातों के रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के द्वारा पीआरआईज़ के बेहतर वित्तीय प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए, मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ प्रियासॉफ्ट (पीआरआईए साफ्ट) को एकीकृत कर रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए 75% ग्राम पंचायतों ने अपनी खाता किताबें बंद कर दी हैं और 113000 ग्राम पंचायतें पीएफएमएस पर पंजीकृत हैं जबकि शेष ग्राम पंचायतें इसकी प्रक्रिया में हैं।

7) स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) एप्लिकेशन से संबंधित 16 अगस्त 2018 को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी के साथ विभिन्न कार्य मदों पर की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। एलजीडी एप्लिकेशन से संबंधित मेघालय के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2 अगस्त 2018 को शिलांग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी और 6 जिलों के गांव डेटा को एलजीडी एप्लिकेशन में सत्यापित और संशोधित किया गया। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क होने के साथ, 99.95% गांव (भारत में 652711 गांवों में से) को संबंधित ब्लॉक और ग्राम पंचायत के साथ मैप किया गया है।

8) विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई-पंचायत कार्यक्रम के तहत प्लानप्लस एप्लिकेशन विकसित किया गया है। एप्लिकेशन में स्थानीय स्तर की योजना यानी योजना, निगरानी और मूल्यांकन के उपयोग के लिए डेटा के माइक्रो-स्तरीय डेटाबेस शामिल है। प्लानप्लस को अब जनगणना 2011, एसईसीसी और मिशन अंत्योदय से डेटा शामिल करने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है। इसके अलावा, चौदहवां वित्त आयोग, मनरेगा, पीएमएवाई-जी, एनआरएलएम और एनएसएपी योजनाओं के लिए संसाधन एनवलप जानकारी उपलब्ध है। ऐसी जानकारी जीपीडीपी में शामिल किए जाने वाले संबंधित उपायों के लिए अपेक्षित विकास अंतराल विश्लेषण और सुविधा प्रदान करेगी।

9) इस मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार, वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने चौदहवें वित्त आयोग अवार्ड के तहत वर्ष 2017-18 के लिए गोवा को 11.55 करोड़ रुपये के मूल अनुदान की पहली किस्त और

हिमाचल प्रदेश को 180.815 करोड़ रुपये के मूल अनुदान की पहली किस्त और वर्ष 2018-19 के लिए पश्चिम बंगाल को 1370.3437 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है।

10) इस महीने के दौरान, एमओपीआर ने बिहार को 20 99.855 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 523.93 करोड़ रुपये, हरियाणा को 387.995 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 920.7696 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 1354.39 करोड़ रुपये का मूल अनुदान की पहली किश्त, वर्ष 2018-19 के लिए निर्मुक्त करने हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश की है।

11) वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत मूल अनुदान की कुल निर्मुक्ति 29942.87 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले 28600.45 करोड़ रुपये है। वर्ष 2017-18 के दौरान 34596.26 करोड़ रुपये के आवंटन के एवज में 31316.82 करोड़ रुपये है और यह वर्ष 2018-19 के लिए 40021.63 करोड़ रुपये के आवंटन के एवज में 12374.727 करोड़ रुपये है। 2016-17 के लिए 3927.65 करोड़ रुपये आवंटन के एवज में निष्पादन अनुदान का आवंटन 3499.45 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ रुपये के आवंटन के एवज में 1106.90 करोड़ रुपये है।

12) मंत्रालय के दो अधिकारी - डॉ बाला प्रसाद, अपर सचिव और श्रीमती सुजाता शर्मा, आर्थिक सलाहकार ने 18-20 अगस्त, 2018 के दौरान पोर्ट लुइस, मॉरीशस में आयोजित 11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन के विचार-विमर्श में भाग लिया। सम्मेलन हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने में काफी लंबा सफर तय कर चुका है।

Ministry panchayati Raj

Summary on Major achievements, significant developments and Important events of MoPR for the month of August, 2018

1) In due appreciation of potential of comprehensive Gram Panchayat Development Plan (GPDP), Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Rural Development, Government of India are going to launch People's Plan Campaign – "Sabki Yojana Sabka Vikas" during the period from 2nd October to 31st December 2018. During the said period, comprehensive GPDP will be prepared by every Panchayat for financial year 2019-20. The GPDP Campaign will not only see 31 lakhs elected representatives taking the lead in Gram Sabhas, they would also be supported by the network of 5.25 crore SHG Women in the true spirit of participatory democracy to envision, plan and implement the development plan, leading to transform rural India.

2) For the successful implementation of People's Plan Campaign it is imperative to have a monitoring mechanism in place as well as facilitating real time information sharing. Accordingly, a portal (www.gpdp.nic.in) has been operationalized through which the progress of the campaign will be monitored. In order to have an assessment on various activities before, during and after the campaign, the States need to provide information in various reporting formats on the portal. Further, the portal also provides information on the Nodal officers, Facilitators, facilitator's report, scheduled Gram Sabha, information gallery. Moreover, the State level Nodal Officers of line departments will be responsible for appointing and uploading the names of frontline workers to be deputed for Gram Sabha (GS) meetings on the designated days.

3) The MoPR in collaboration with National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR) organised a one day workshop on 28th August for finalising the modules relating to (i) PRI-SHG Convergence and (ii) Training of Facilitators in connection with the People's Plan Campaign. Participants in the workshop included officers/ faculty from Panchayati Raj Department and State Institute of Rural Development of States and UTs.

4) A National Steering Committee (NSC) under the Chairmanship of Hon'ble Minister of Panchayati Raj has been constituted for providing overall policy direction for the Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA). This will help in taking policy decision w.r.t. the scheme and its implementation.

5) A Central Empowered Committee (CEC) under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Panchayati Raj, has been constituted for overseeing the implementation of RGSA scheme and approval of Annual Action Plans of States/ UTs etc under the scheme. This will help in strengthening PRIs through capacitating them.

6) As a part of eFMS, PRIASoft is essential in order to ensure a sound financial management system in the PRIs. PRIASoft, is an accounting application that allows Panchayats to maintain their account books and aims to keep track of all the in-flow (Receipts) and out- flow (Expenditure) of the Panchayati Raj Institutions. The Application facilitates better financial management of PRIs by bringing about transparency and accountability in the maintenance of accounts. For this purpose, the Ministry is integrating PRIASoft with Public Financial Management System

(PFMS). For the year 2017-18, 75% of the Gram Panchayats have closed their account books and 113000 GPs have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of the same.

7) A video conference was held on 16th August 2018 with the Nodal Officers of Panchayati Raj Department from States/ UTs to review the progress made by them on various action items related to Local Government Directory (LGD) application. A meeting was held under the chairmanship of Additional Chief Secretary on 2nd August 2018 in Shilong to discuss the various issues of Meghalaya related to LGD application and village data of 6 districts got verified and rectified in LGD application. With continuous follow-up with States/UTs, 99.95% villages (out of 652711 villages in India) has been mapped with respective Block & Gram Panchayat.

8) PlanPlus Application under e-Panchayat programme has been developed to simplify the decentralized planning process. The application includes micro-level database for local level planning i.e. data for use by all for planning, monitoring and evaluation. PlanPlus is now being restructured to include data from Census 2011, SECC and Mission Antyodaya. Further, resource envelope information available for Fourteenth Finance Commission, MGNREGA, PMAY-G, NRLM and NSAP schemes. Such information would provide the GPs with the requisite developmental Gap analysis and facilitation for corresponding measures to be incorporated in GPDP.

9) In accordance with the recommendation of this Ministry, the Ministry of Finance (MoF) has released 1st instalment of Basic Grant of Rs. 11.55 crore to Goa for 2017-18 and 1st instalment of Basic Grant of Rs. 180.815 crore to Himachal Pradesh and Rs. 1370.3437 crore to West Bengal for 2018-19 under the Fourteenth Finance Commission Award.

10) During the month, MoPR has recommended to MoF for release of 1st instalment of Basic Grant of Rs. 2099.855 crore to Bihar, Rs. 523.93 crore to Chhattisgarh, Rs. 387.995 crore to Haryana, Rs. 920.7696 crore to Karnataka and Rs. 1354.39 crore to Madhya Pradesh for 2018-19

11) The total release of Basic grant under FFC for the year 2016-17 is Rs. 28600.45 crore against the allocation of Rs. 29942.87 crore, during 2017-18 is Rs. 31316.82 crore against the allocation of Rs. 34596.26 crore and it is Rs.12374.727 crore against the allocation of Rs.40021.63 crore for the year 2018-19. Release of Performance Grant is Rs. 3499.45 crore against the allocation of Rs. 3927.65 crore for 2016-17 and Rs. 1106.90 crore against allocation of Rs. 4444.71 crore, for the year 2017-18.

12) Two officers of the Ministry viz. Dr. Bala Prasad, Additional Secretary and Smt. Sujata Sharma, Economic Adviser, participated in the deliberation in the 11th World Hindi Conference held in Port Luis, Mauritius, during 18-20 August, 2018. The Conference has gone a long way in making Hindi as international language.

****